हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

पंद्रहवां सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 136

बुधवार, 10 अगस्त, 2022/19 श्रावण,1944 (शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा संबोधन

"मानसून सत्र में भाग लेने के लिए मैं इस माननीय सदन के समस्त सदस्यों का, विशेष तौर पर माननीय सदन के नेता श्री जय राम ठाकुर जी, विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, उपाध्यक्ष डॉ0 हंस राज जी, मुख्य सचेतक श्री विक्रम सिंह जरयाल जी, उप मुख्य सचेतक श्रीमती कमलेश कुमारी जी, सी0पी0आई0(एम) के नेता श्री राकेश सिंघा जी, सभी आदरणीय मंत्रिगण और विधायकगणों का अभिनन्दन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। यहां पर मैं आप सभी का कोटिशः अभिनन्दन व स्वागत करता हूं। यह सत्र 13वीं विधान सभा का 15वां सत्र है तथा वर्तमान सरकार का आखिरी सत्र है। मैं इस अवसर पर अपना-अपना कार्यकाल पूरा करने तथा आखिरी सत्र में भाग लेने के लिए सभी को बधाई व अनंत शुभ-कामनाएं देना चाहता हूं। अभी भी पूरा विश्व, भारत तथा प्रदेश

कोविड-19 के संक्रमण से उबरा नहीं है लेकिन सरकार द्वारा समय-समय पर समुचित कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस बीमारी को घातक होने से रोका जा सके। ऐसी भयावह स्थिति में सत्र का आयोजन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है परन्तु संवैधानिक जिम्मेवारियों को निभाना परमावश्यक है। विषम परिस्थितियों के बावजूद विधान सभा सचिवालय अपनी जिम्मेवारियां निभाने में सजग तथा कृतसंकल्प है। कोरोना महामारी से सभी को सुरक्षित रखने के लिए जहां विधान सभा परिसर, भवन तथा सदन को हर दिन सदन की समाप्ति के बाद सैनैटाइज करने की व्यवस्था की गई है वहीं परिसर में प्रवेश से पूर्व भी आगंतुकों की स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति परिसर में प्रवेश न पा सके। सत्र को देखने के लिए दर्शक-दीर्घा में बैठने हेतु 50 प्रतिशत क्षमता के हिसाब से पास जारी किए जा रहे हैं ताकि उचित दूरी अपनाई जा सके लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सभी माननीय सदस्यों, मिडिया के साथियों तथा सदन के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सर्जिकल फेस मास्क तथा सैनेटाइज़र वितरित किए गए हैं। सत्र के दौरान किसी को भी कोरोना के लक्षण पाए जाने पर जहां आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई है वहीं एक टैस्टिंग वैन तथा एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। कोविड-19 के दृष्टिगत मैं समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि लॉबियों, डाइनिंग हॉल तथा विधान सभा परिसर के बाहर भी सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करें। मैं आशा करता हूं कि चार दिन चलने वाला यह वर्षाकालीन सत्र जिसमें चार कार्य-दिवस होंगे, प्रदेश-हित में उनका अधिक-से-अधिक उपयोग करके माननीय सदस्य इसका लाभ उठाएंगे और अपनी बात को नियमों की परिधि में रखकर चर्चाओं को सार्थक बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। मुझे सदन में पहले भी पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों का सहयोग मिलता आया है और मैं आशा करता हूं कि यह पुनः इस सदन और इस सत्र में भी प्राप्त होगा। इससे पूर्व कि आज की कार्यवाही आरम्भ करें, मेरा सभा-मण्डप में उपस्थित सभी से निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।"

(**राष्ट्रीय गान गाया गया।**)

1. शोकोद्‌गार

निम्नलिखित ने स्वर्गीय सर्वश्री सुख राम, पूर्व सांसद एवं सदस्य, रूप सिंह चौहान, मस्त राम व श्री प्रवीण शर्मा, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्‌गार व्यक्त किए:-

1. श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री
2. श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री
4. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
5. श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री
6. श्री रोहित ठाकुर
7. श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
8. श्री विनय कुमार
9. श्री राकेश पठानिया, वन मंत्री
10. डॉ0 (कर्नल) धनीराम शांडिल
11. डॉ0 राजीव बिन्दल
12. श्री राकेश सिंघा

(1.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 2.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

शोकोद्‌गार जारी -

13. श्री बलबीर सिंह
14. श्री राकेश जम्वाल
15. श्री विक्रमादित्य सिंह
16. श्री हीरा लाल
17. श्री अनिल शर्मा

माननीय अध्यक्ष ने शोकोद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा-

"सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री एवं अन्य सदस्यों ने जो अपने शोकोद्‌गार स्वर्गीय सर्वश्री सुख राम जी, पूर्व सांसद एवं सदस्य, रूप सिंह चौहान, मस्त राम व श्री प्रवीण शर्मा जी के लिए प्रकट किए हैं, उसमें मैं भी

अपने आपको शामिल करता हूं। यहां पर इन दिवंगत आत्माओं के जीवन वृतांत के बारे में बहुत सारी बातें कही गईं और जिन माननीय सदस्यों ने इनके साथ काम किया है उनके अनुभव कथन भी यहां पर आए। पंडित सुख राम जी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन था। उन्होंने अपने काम के आधार पर अपनी छाप बनाई है। वे हिमाचल प्रदेश के कदावर नेताओं में से एक थे। अगर डॉ. वाई.एस. परमार को हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में जाना जाता है तो पंडित सुख राम जी को संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है।

श्री मस्त राम जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कभी भी वे शिमला आते थे और यहां पर सत्र चल रहा होता था तो वे मुझसे जरूर मिलने आते थे। वे मृदुभाषी, सरल स्वभाव और अपने इलाके के लिए हमेशा चिंतित रहते थे।

स्वर्गीय प्रवीण शर्मा जी के व्यवहार के बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें बहुत से साथियों ने रखी हैं। उन्होंने छोटी सी आयु में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। यहां पर उनकी मूछों का जिक्र हुआ और वे हमेशा मूछों की लाज रखते थे। मेरा यह मानना है कि कोई भी पार्टी हो और उसकी कोई भी विचारधारा हो लेकिन उसमें काम करने वाले लोग कैसे हैं, क्या उन लोगों के व्यवहार में उस पार्टी की विचारधारा झलकती है तो स्वर्गीय श्री प्रवीण शर्मा के व्यवहार में वह विचारधारा झलकती थी।

मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि जिस अवस्था में वे गए हैं वह विचार के लिए बहुत बड़ा घाटा है और उसकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं हो सकती।"

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन रखा गया।)

2. प्रश्नोत्तर

(शोकोद्गार व्यक्त करने में प्रश्नकाल का सारा समय व्यतीत हो जाने के कारण कार्यसूची में निर्धारित प्रश्न कार्यवाही का भाग बने।)

अविश्वास प्रस्ताव उठाने संबंधी विषय

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नियम-278 के तहत मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने का मामला उठाया और चाहा कि इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाए।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने व्यवस्था देते हुए कहा कि दिनांक 10 अगस्त, 2022 को प्रातः 9.50 बजे विपक्ष के माननीय सदस्यों तथा सीपीआई(एम) के सदस्य की ओर से नियम-278 के अन्तर्गत अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जिस पर विचार करने के उपरान्त वे अपना विनिश्चय देंगे।

माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष, श्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष के माननीय सदस्यगणों के हैड काउंट किए जाएं क्योंकि जिन 23 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, वे सभी इस समय सदन में मौजूद हैं।

माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष को पुनः आश्वास्त किया कि वे प्रस्ताव पर विचार करके अपना निर्णय देंगे।

(दोनों पक्षों के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

(शोरगुल के बीच 3.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

(04.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

नेता प्रतिपक्ष, श्री मुकेश अग्निहोत्री ने पुनः मांग की कि विपक्ष की ओर से नियमानुसार प्रस्ताव दिया गया है। अतः इस पर चर्चा हेतु समय निर्धारित किया जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सरकार मजबूत है और मैजोरिटी में है।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"आज दिनांक 10.08.2022 को प्रातः 9.50 बजे कांग्रेस विधायक दल एवं सी.पी.आई.(एम) के माननीय सदस्य से नियम-278 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसे मैं मूव कर रहा हूं जोकि इस प्रकार हैः

"This House expresses no confidence in the Council of Ministers as the Government has failed on all fronts."

(विपक्ष के माननीय सदस्यों के हैड काउंट करके प्रस्ताव हेतु अनिवार्य एक तिहाई सदस्यों की संख्या को सुनिश्चित किया गया तथा संख्या 23 पाई गई!)

नियम-278 के अंतर्गत विपक्ष के सदस्यों द्वारा लाए गए प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं तथा इसे कल दिनांक 11.08.2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न चर्चा हेतु लिया जाएगा तथा शाम को ठीक 3.00 बजे सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।"

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा हेतु कम समय के निर्धारण पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इस चर्चा हेतु पर्याप्त समय दिया जाए और पुनः अपनी रूलिंग दें।

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्या ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि प्रस्ताव के 23 मूवर्ज को बोलने का नियमानुसार मौका मिलना चाहिए।

इस पर **अध्यक्ष महोदय** ने कहा कि दोनों पक्ष अपने-अपने सदस्यों के बोलने का समय तय कर लें कि किसने बोलने हेतु कितना समय लेना है क्योंकि इस बार सत्र बहुत छोटा है।

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. **हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 7);**
2. **हिमाचल प्रदेश विनियोग(संख्यांक 2) विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 8);**
3. **हिमाचल प्रदेश स्लम वासी(साम्पत्तिक अधिकारी) विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 9);**
4. **हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 10); और**
5. **हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 11)।**

5. अध्यादेश

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 20.05.2022 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 (2022 का अध्यादेश संख्यांक 2)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखी।

6. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2022-23) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 221वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 222वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 223वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 224वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 225वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का 226वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का 227वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;

(viii) समिति का 228वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;

(ix) समिति का 229वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;

(x) समिति का 230वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;

(xi) समिति का 231वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है; और

(xii) समिति का 232वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति** (वर्ष 2022-23) ने समिति का 48वां मूल प्रतिवेदन जोकि प्रदेश में संचालित "सुनिश्चित रोजगार के लिए योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना" से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

7. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्रीमती रीता देवी, सदस्य ने **"प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ के नजदीक स्थापित टोल टैक्स बैरियर को अन्यत्र स्थानांतरित"** करने पर सदन का ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, सदस्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया -

> **"प्रदेश के वन क्षेत्रों में लगने वाली आग तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा से हो रहे भू-स्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों तथा सम्पत्तियों को हो रहे नुकसान से बचाव तथा राहत हेतु दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने बारे यह सदन विचार करे।"**

माननीय अध्यक्ष ने उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 12 अगस्त, 2022 को आगे चर्चा किए जाने का निर्णय दिया।

05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 11 अगस्त, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।